बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09 / आ0–05–13 / 2007 / स्वा0 / पटना,दिनांक / निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक 902 / आप0शा0 दिनांक 20.07.2007 द्वारा सूचित किया गया है कि डा0 जमुना ठाकुर, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुसैनगंज, सिवान (संप्रति सेवानिवृत) दिनांक 06.07.2007 को 12.00 बजे अपराह्न में परिवादी श्री विनोद कुमार वर्मा, बी0एच0डब्लू0 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, हुसैनगंज, सिवान की प्रतिनियुक्ति समाप्त नहीं करने हेतु 4,000 / – (चार हजार रूपए) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा गठित धावादल के द्वारा गिरफ्फतार कर न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेजे गए।

2. उपर्युक्त आरोपों के लिए डा0 ठाकुर के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0 1106(9) दिनांक 16.9.10 एवं संशोधित संकल्प 74(9) दिनांक 12.01.12 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। दिनांक 31.07.2011 को डा0 ठाकुर की सेवानिवृति के उपरांत विभागीय संकल्प सं0 298(9) दिनांक 28.02.2013 उक्त विभागीय कार्यवाही को 'बिहार पेंशन नियमावली' के नियम 43 'बी' के अंतर्गत संपरिवर्तित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में निष्कर्ष दिया गया कि डा0 जमुना ठाकुर पर गठित आरोप को प्रमाणित माना जा सकता है, लेकिन इसका फलाफल माननीय निगरानी न्यायालय के फलाफल से प्रामणित होगा।

4. प्रमाणित आरोपों के आधार पर अधिगम की प्रति भेजते हुए डा0 ठाकुर से विभागीय पत्रांक 122(9) दिनांक 10.02.2014 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई और उन्हें 15 दिनों के अन्दर विभाग में अपना प्रत्युतर समर्पित करने का अवसर दिया गया। निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद उनके द्वारा कोई प्रत्युतर समर्पित नहीं किया गया।

5. तदालोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत डा0 ठाकुर की पेंशन एवं उपादान की संपूर्ण राशि स्थाई रूप से जब्त करने का दण्ड दिए जाने का निर्णय लिया गया, जिसपर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. विभागीय पत्रांक 415(9) दिनांक 11.6.14 द्वारा उपर्युक्त दण्ड प्रस्ताव पर सहमति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1395 दिनांक 12.9.2014 द्वारा डा0 जमुना ठाकुर की पेंशन की संपूर्ण राशि स्थाई रूप से जब्त करने संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है तथा डा0 ठाकुर के उपादान की संपूर्ण राशि जब्त करने के प्रस्ताव पर आयोग द्वारा कोई परामर्श नहीं दिया गया है।

7. उक्त आलोक में डा0 जमुना ठाकुर चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुसैनगंज, सिवान (संप्रति सेवानिवृत) के पेंशन एवं उपादान की संपूर्ण राशि स्थाई रूप से जब्त करने का दंड दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(देवचन्द्र चौधरी)
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक: 54 (9) / स्वा0, पटना , दिनांक: 27/01/2015

प्रतिलिपि :– उप सचिव (मुद्रण) वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Sweta/Health/Notification- 14-05-12

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय उप– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सारण प्रमंडल छपरा/सिविल सर्जन सिवान /कोषागार पदाधिकारी सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 जमुना ठाकुर, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुसैनगंज, सिवान (संप्रति सेवानिवृत) पता– के0के0 झा का मकान, पश्चिमी दिग्धी पोखर, मिश्र टोला, नियर शुल्का नर्सिंग होम के उतर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1395 दिनांक 12.09.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,9,11,12 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,